रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-672/2018/1055/22-2-2018-17(363)/2017
लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2018
आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, बागपत** के सिद्धदोष **बन्दी रघुवर (बन्दी संख्या-138/16) पुत्र श्री सोहन, जो-ग्राम-बाघू, थाना-बागपत, जनपद-बागपत** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-668/1986** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/149, 323/149, 147, 148** के अधीन **दिनांक 23.06.1995** को **मा0 नवम अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2014 द्वारा धारा-302/149 को धारा-304/149 पार्ट-2 में परिवर्तित कर 08 वर्ष के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-672/2018/1055(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
3- पुलिस अधीक्षक, बागपत।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in